पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति महोबा पुलिस द्वारा निरंतर किया जा रहा है जागरुक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 12.08.2024 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मुख्यआरक्षी (परिवहन) के उपनिरीक्षक(परिवहन) पद पर पदोन्नत होने पर कंधे पर स्टार लगाकर पदोन्नति प्रदान की गयी, उज्जवल भविष्य के लिये दी शुभकामनायें।

जनपद महोबा में पुलिस लाइन अवस्थित परिवहन शाखा में नियुक्त मुख्य आरक्षी (परिवहन) को प्रोन्नति देकर उपनिरीक्षक (परिवहन) बनाया गया है, इस उपलक्ष्य में आज दिनांक 12.08.2024 को पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा मुख्य आरक्षी (परिवहन) के उपनिरीक्षक (परिवहन) पद पर प्रमोशन पाये जाने पर उनके कंधे में प्रतीक चिन्ह स्टार लगाते हुये पदोन्नति प्रदान की गई है। इस दौरान उनके उज्जवल भविष्य के लिये शुभकामनाएं दी गयी साथ ही नए पद के साथ आने वाली विभिन्न जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुए सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण निर्वहन किये जाने के लिये प्रोत्साहित किया गया है।

इस अवसर पर पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द सिंह गौर, मुख्य आरक्षी (परिवहन) भानु सिंह मौजूद रहे।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में मासिक विचार विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया...।

आज दिनांक 12.08.2024 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ समायिक विषयों पर परिचर्चा हेतु मासिक विचार-विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया; जनपद में अपराध नियंत्रण, शान्ति एवं कानून-व्यवस्था, क्षेत्रीय समस्याओं एवं पुलिसिंग में अपेक्षित सुधार आदि विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श कर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य सम्मानित मा0 सांसद/विधायक एवं उनके जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर जनहित में प्राप्त सुझावों से जनपद की क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने में सहायता प्राप्त होगी साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण पहलुओं पर पुलिस के दृष्टिकोण से अवगत कराने तथा विचारों के आदान-प्रदान से एक-दूसरे को समझने में सहायक होगी ।

इस दौरान श्री अवधेश गुप्ता (जिलाध्यक्ष भा.ज.पा.), श्री सन्तोष चौरसिया (नगर पालिका अध्यक्ष) मौजूद रहे।

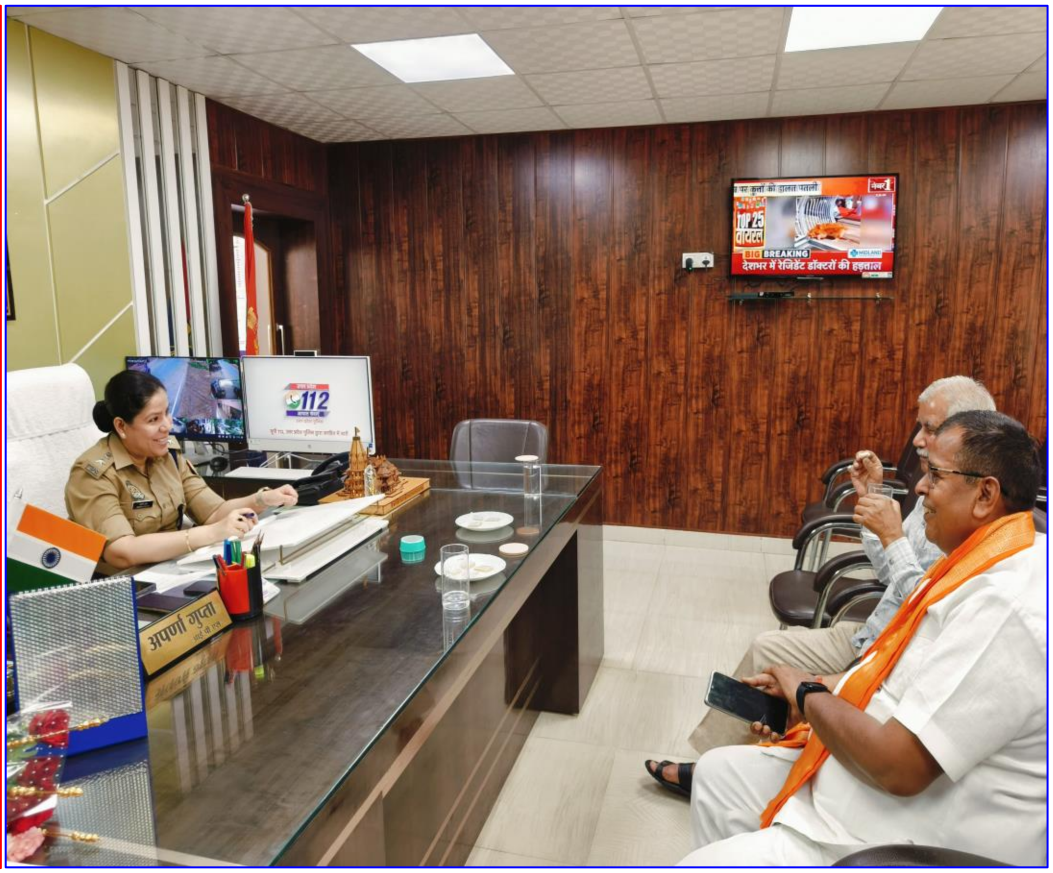

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 12.08.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 20 लीटर अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के तहत संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई।

उ0नि0 सुबाषचन्द्र तिवारी मय हमराह हे0कां0 शत्रुघन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम सौरा के पास अवैध शराब के साथ अभियुक्त मुन्नालाल अहिरवार पुत्र घसीटा अहिरवार उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को हिरासत में लिया जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पनवाड़ी में मु.अ.सं. 151/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह मय प्रशिक्षु उ0नि0 अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम रूरीकलाँ/ कनकुआँ के पास अवैध शराब के साथ अभियुक्त लालदिवान अहिरवार पुत्र स्व0 कालीदीन उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम रूरीकलाँ थाना महोबकंठ जनपद महोबा को हिरासत में लिया जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 152/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरणः-

प्रथम पुलिस टीम- 1.उ0नि0 सुबाषचन्द्र तिवारी 2. हे0कां0 शत्रुघन सिंह

द्वितीय पुलिस टीम- 1.उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह 2. प्रशि0 उ0नि0 अनुज कुमार सिंह

बरामदगी- प्लास्टिक की पिपिया में क्रमशः 10-10 लीटर (कुल 20 लीटर) अवैध कच्ची शराब बरामद होना

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 40 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी व0उ0नि0 श्री महेन्द्र कुमार वर्मा के द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह के नेतृत्व में गठित हुई प्रथम पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त छुन्नीलाल पुत्र चूरामन अनुरागी उम्र 55 वर्ष नि0ग्राम धरौन थाना कबरई जनपद महोबा को ग्राम धरौन के पास से हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक के बोरी मे 20 क्वाटर पाऊच मस्तीह देशी शराब नाजायज बरामद हुई ।

इसी क्रम में उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार के नेतृत्व में गठित हुई द्वितीय पुलिस टीम ने ग्राम सुरहा के पास से अवैध शराब के साथ अभियुक्त पुष्पेन्द्र अहिरवार पुत्र बालेन्द्र अहिरवार उम्र 48 वर्ष नि0ग्राम सुरहा थाना कबरई जनपद महोबा को हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक के बोरी मे 20 क्वाटर पाऊच झूम देशी शराब नाजायज बरामद हुई ।

अभियुक्तों के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कबरई में क्रमशः मु0अ0सं0 224/2024 व मु0अ0सं0 225/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई ।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

(प्रथम पुलिस टीम)- 1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह 2. हे0का0 रामकरन सिंह 3. कां0 अंकुश पाल

(द्वितीय पुलिस टीम)- 1. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार 2. कां0 नरेन्द्रबाबू 3. कां0 शुभम कुमार

बरामदगी- गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से क्रमशः 20-20 क्वार्टर (कुल 40 क्वार्टर) अवैध देशी शराब बरामद।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 12.08.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 12.08.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं को लेकर आये उन सभी की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित किया जाये किसी भी फरियादी को परेशान न किया जाये; सभी से सम्मान पूर्वक बर्ताव किया जाये, निर्देशित किया गया कि घटना की तथ्यात्मक जानकारी करते हुये गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये याद रखे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिये, किसी भी पीड़ित से गलत व्यवहार की सूचना प्राप्त होने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने 02 अदद अवैध तमंचा/जिन्दा कारतूस के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र का निर्माण, बिक्री व परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा उ.नि. रामकृष्ण तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, गठित हुई पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 02 नफऱ अभियुक्तगण क्रमशः 1.सुशील कुमार विश्वकर्मा पुत्र लालदिवान विश्वकर्मा उम्र करीब 40 वर्ष को हिरासत में लिया जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा व 01 अदद कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ तथा अभियुक्त 2.उमेश कुमार यादव पुत्र मुन्ना यादव उम्र करीब 28 वर्ष जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा व 01 अदद कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से हुई अवैध शस्त्र एवं कारतूस की बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चरखारी में क्रमशः मु0अ0सं0 193/2024 व मु0अ0सं0 194/2024 धारा 3/25**A Act** का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि.रामकृष्ण तिवारी 2. कां0 अंशुल कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1. सुशील कुमार विश्वकर्मा पुत्र लालदिवान विश्वकर्मा उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा

2. उमेश कुमार यादव पुत्र मुन्ना यादव उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी -

दोनो अभियुक्तों के कब्जे से एक-एक अदद 315 बोर देशी तमन्चा व एक-एक अदद कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने 02 अदद अवैध तमंचा/जिन्दा कारतूस के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र का निर्माण, बिक्री व परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री यशवन्त सिंह के द्वारा गठित टीम के उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 अनिल सिंह चौहान, का0 कुलदीप यादव, का0 विनय प्रताप सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.जैसपाल आदिवासी पुत्र भारत सिंह उम्र 23 वर्ष 2.बाकें सिंह उर्फ भुजाई पुत्र मोती आदिवासी उम्र 20 वर्ष जिनके कब्जे से 01-01 अदद तमंचा 315 बोर व 01-01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ईदगाह तिराह से धौसा मन्दिर जाने वाली पक्की सडक के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से हुए अवैध शस्त्र एवं कारतूस की बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में क्रमशः मु0अ0सं0 248/2024 व मु0अ0सं0 249/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1. जैसपाल आदिवासी पुत्र भारत सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम पठादा थाना ईसानगर जनपद छतरपुर (म0प्र0)
2. बाकें सिंह उर्फ भुजाई पुत्र मोती आदिवासी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पठादा थाना ईसानगर जनपद छतरपुर (म0प्र0)

बरामदगी -

दोनो अभियुक्तों के कब्जे से एक-एक अदद तमंचा 315 बोर व एक-एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र
2. हे0का0 अनिल सिंह चौहान
3. का0 कुलदीप यादव
4. का0 विनय प्रताप सिंह

थाना अजनर की पुलिस टीम ने
अवैध शस्त्र व गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र/गांजा का निर्माण, बिक्री व परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 शिवदान सिंह, उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी, प्रशिक्षु म0उ0नि0 शिल्पी राजपूत द्वारा मुखिबर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त नरेन्द्र अहिरवार पुत्र भग्गू अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम नगाराडांग थाना अजनर जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व 01 कि0ग्रा0 100 ग्रा0 अवैध सूखा गांजा नाजायज बरामद करते हुए ग्राम इन्द्रहटा थाना अजनर जपनद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से हुए अवैध शस्त्र/कारतूस एवं गांजा की बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अजनर में क्रमशः मु0अ0सं0 154/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 155/2024 धारा 8/20 NDPS Act का अभियोग पंजीकृत किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त एवं उसका आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त नरेन्द्र अहिरवार पुत्र भग्गू अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम नगाराडांग थाना अजनर जनपद महोबा का आपराधिक इतिहास 1.मु0अ0सं0 233/2023 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना अजनर जनपद महोबा, 2. मु0अ0सं0 157/2024 धारा 392/411 भादवि0 थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा, 3.मु0अ0सं0 166/2024 धारा 307 भादवि0 थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा, 4. मु0अ0सं0 168/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामदगी –

एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व 01 कि0ग्रा0 100 ग्रा0 सूखा अवैध गांजा नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 शिवादन सिंह
2. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी
3. प्रशिक्षु उ0नि0 शिल्पी राजपूत
4. कां0 हवन कुमार